RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 6/2023

Parmeshwari Devi

----Appellant

Versus

Hariram

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Aman Bishnoi
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

<u>Order</u>

<u>22/07/2025</u>

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2024 को अपील विचारार्थ ग्रहण कर ली गई है और स्थगन आदेश जारी कर दिया गया तथा प्रत्यर्थी को नोटिस दिए गए व विद्वान अधिकरण न्यायालय का अभिलेख मंगवाये जाने का आदेश दिया गया। परंतु यह अपील 20 दिन देरी से प्रस्तुत की गई थी, जिसके संबंध में प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पूर्व में पेश किया गया था, जिस पर आदेश अभी तक नहीं हुआ है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया कि मात्र 20 दिन की देरी है, जिसे बिना नोटिस जारी किए ही माफ किया जावे।

प्रार्थना–पत्र पर सुना गया।

प्रार्थना–पत्र में वर्णित कारणों को देखते हुए प्रार्थना–पत्र आवक क्रमांक 01/22 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर 20 दिन की देरी को माफ किया जाता है।

इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 01.07.2024 के मुताबिक विद्वान अधिकरण न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की तामील हेतु योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पीएफ व नोटिस दो प्रतियों में दो सप्ताह की अवधि में पेश करें।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाने हेतु अपीलार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को दस्ती उपलब्ध करवाई जाए।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

36-mayank/-